भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 254

जिसका उत्तर सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक) को दिया गया

बैंक संबंधी धोखाधड़ी

254. श्री अभिषेक बनर्जी:
श्री श्याम सिंह यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में बैंक-वार कितनी बैंक संबंधी धोखाधड़ी हुई हैं;

(ख) ऐसे धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन का मूल्य बैंक-वार कितना है;

(ग) उपभोक्ताओं, विशेषकर वृद्ध व्यक्तियों को ऐसी धोखाधड़ियों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान पीबीएस पर लगाए गए जुर्माने की राशि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में विगत पांच वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक धोखाधड़ी में अंतर्ग्रस्त 1 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि के संबंध में धोखाधड़ी का बैंक-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ग): बैंकिंग धोखाधड़ियों की रोकथाम और धोखेबाज़ों को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं –

(i) आरबीआई द्वारा धोखाधड़ी जोखिम की समय पर पहचान करने, उसे नियंत्रित करने और इसमें कमी लाने तथा ऋण स्वीकृति प्रक्रिया के दौरान सम्यक तत्परता बरतने हेतु केन्द्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री के रूप में बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ियों का ऑनलाइन सर्चेबल डाटाबेस तैयार किया गया है।

(ii) आरबीआई ने धोखाधड़ी पर मास्टर निदेश जारी किए हैं, जिसमें बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे धोखाधड़ियों की सूचना कानून प्रवर्तक एजेंसियों (एलईए), अर्थात् राज्य पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आदि को आगे की जांच और उपयुक्त कार्रवाई के लिए दें। इसके अतिरिक्त, इसमें मामलों की निगरानी तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई विशेष समिति से कराया जाना, बैंक बोर्ड की लेखापरीक्षा समितियों के समक्ष तिमाही आधार पर सूचना प्रस्तुत करना तथा बैंकों द्वारा धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा करना भी अपेक्षित है। इन समीक्षाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, निवारण संबंधी उपायों, धोखाधड़ी पहचान प्रणाली, प्रणालीगत खामियों, सुधारात्मक कार्रवाई, जांच की प्रगति की निगरानी और वसूली तथा कर्मचारी उत्तरदायित्व शामिल हैं।

(iii) 3 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी के सभी मामलों को कवर करने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में प्रत्येक स्तर के अधिकारियों/पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) (भूतपूर्व अधिकारियों/भूतपूर्व-डब्ल्यूटीडी सहित) की भूमिका की जांच करने के लिए, आरबीआई और सरकार के

परामर्श से केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मौजूदा बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ियों के लिए सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफएफ) के क्षेत्र और दायरे को संशोधित किया गया था।

(iv) पीएसबी में व्यापक, स्वचलित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) की स्थापना, ~ 80 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर के साथ और समयबद्ध उपचारात्मक कार्रवाइयों के लिए थर्ड पार्टी के आंकड़ों का उपयोग।

(v) आरबीआई ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, ऋण धोखाधड़ियों का जल्दी पता लगाने, आरबीआई और जांच एजेंसियों को त्वरित रिपोर्टिंग और कर्मचारी दायित्व के संबंध में समय पर कार्रवाई आरंभ करने के लिए, ऋण धोखाधड़ियों और रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स (आरएफए) के निपटान के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसमें बैंकों को दिखाई दिए प्रारंभिक चेतावनी संकेत के निरीक्षण या मूल्यांकन के आधार पर संभाव्य धोखाधड़ी खातों का आरएफए के रूप में वर्गीकरण करने की आवश्यकता है।

(vi) आरबीआई ने बैंकों को थर्ड पार्टी त्रुटिपूर्ण सेवाओं (जैसे विधिक सर्च रिपोर्ट, संपत्ति मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट आदि) और भारतीय बैंक संघ, जो ऐसे सेवा प्रदाताओं की सतर्कता सूची को बनाए रखते हैं, को जालसाजों के साथ इन सेवा प्रदाताओं की मिलीभगत की सूचना देने का अनुदेश दिया है।

(vii) लुकआउट सर्कुलर जारी करने का अनुरोध करने के लिए पीएसबी के प्रमुखों को शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(viii) पीएसबी को 50 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सुविधा प्राप्त करने वाली कंपनियों के प्रवर्तकों/निदेशकों और अन्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

(ix) गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग करने और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी की रोकथाम के लिए नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (सीएफसीएफआरएमएस) मॉड्यूल शुरू किया है।

(x) साइबर अपराधों के संबंध में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने में सहायता के लिए एक टोल-फ्री नंबर भी शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय से प्राप्त इनपुट के अनुसार, दिनांक 4.12.2023 तक, सीएफसीएफआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से 4 लाख से अधिक घटनाओं में कुल 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बचायी गई है।

इसके अतिरिक्त, साइबर धोखाधड़ी से बचाव हेतु वरिष्ठ नागरिकों सहित ग्राहकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कई अन्य पहल भी की गई हैं। इन पहलों में संक्षिप्त संदेश सेवा (एसएमएस) के माध्यम से साइबर अपराध पर संदेशों का प्रसार, रेडियो अभियान, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के सोशल मीडिया खातों के माध्यम से साइबर अपराध की रोकथाम और साइबर सुरक्षा संबंधी सुझावों के बारे में प्रचार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रमों का आयोजन आदि शामिल हैं।

(घ): बैंकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि वह बैंकों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई करता है जहां कहीं लागू कानूनों और उनके अंतर्गत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के उल्लंघनों की पहचान की जाती है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि आरबीआई (वाणिज्यिक बैंकों और कुछेक एफआई द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश, 2016 (जिसका विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है) के प्रावधानों के अनुसार पीएसबी पर दिनांक 1.1.2019 से दिनांक 31.12.2023 तक 34.14 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।

*****

अनुबंध-1

बैंक धोखाधड़ी के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 254

1 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि के संबंध में विगत पांच वित्तीय वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ियों का ब्यौरा

राशि करोड़ रुपये में

बैंक का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19		वित्तीय वर्ष 2019-20		वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23	
	सं.	अंतर्ग्रस्त राशि	सं.	अंतर्ग्रस्त राशि	सं.	अंतर्ग्रस्त राशि	सं.	अंतर्ग्रस्त राशि	सं.	अंतर्ग्रस्त राशि
बैंक ऑफ बड़ौदा	293	7,149	318	11,794	204	7,920	256	3,441	204	1,777
बैंक ऑफ इंडिया	197	3,051	175	7,453	159	10,958	206	5,877	188	570
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	103	1,053	98	3,105	48	2,298	69	404	67	931
केनरा बैंक	555	3,354	524	11,556	136	7,259	82	2,906	143	2,844
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	196	2,885	160	3,730	228	4,177	159	710	162	472
इंडियन बैंक	198	3,395	694	9,136	124	3,622	120	1,461	106	493
इंडियन ओवरसीज बैंक	137	6,216	183	7,096	124	3,530	88	1,225	97	1,409
पंजाब एंड सिंध बैंक	40	313	42	367	69	3,125	62	240	103	128
पंजाब नैशनल बैंक	361	7,507	480	20,852	210	8,156	216	7,344	246	1,808
भारतीय स्टेट बैंक	1,012	8,250	1,211	34,346	979	5,765	1,419	5,457	1,657	4,658
यूको बैंक	89	1,723	64	5,352	277	2,656	89	586	208	1,054
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	353	8,419	354	15,905	270	7,993	283	2,724	215	2,931

स्रोत: आरबीआई

*****

अनुबंध-2

बैंक धोखाधड़ी के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 254

धोखाधड़ी से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लगाए गए जुर्माने की राशि

राशि करोड़ रुपये में

बैंक का नाम	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
बैंक ऑफ बड़ौदा	2.00	--	--	--	--
बैंक ऑफ इंडिया	3.00	1.00	1.00	--	--
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1.50	--	0.25	--	--
केनरा बैंक	1.25	--	--	--	--
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	--	--	--	--	0.30
इंडियन बैंक	4.50	--	--	0.32	--
इंडियन ओवरसीज बैंक	1.50	--	--	0.28	--
पंजाब नेशनल बैंक	3.50	--	1.00	--	--
भारतीय स्टेट बैंक	1.00	--	1.00	--	--
यूको बैंक	2.00	--	--	--	--
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8.25	--	0.50	--	--
कुल	**28.5**	**1.00**	**3.75**	**0.6**	**0.30**

स्रोत: आरबीआई

*****